फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा (क़िस्त 17)

Yatim Kise Kahte Hain ? (Hindi)

यतीम किसे कहते हैं ?

(मअ़ दीगर दिलचस्प सुवाल जवाब)

पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार** क़ादिरी र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के म-दनी मुज़ा-करे नम्बर 7 के मवाद समेत अल मदीनतुल इल्मिय्या के शो'बे फ़ैज़ाने "म-दनी मुज़ा-करा" ने नई तरतीब और कसीर नए मवाद के साथ तय्यार किया है।

(शो'बए म-दनी मुज़ा-करा)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **दीनी** किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले।

(المُستطرَف ج١ ص٤٠ دارالفكر بيروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

क़ियामत के रोज़ ह़सरत

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : सब से ज़ियादा ह़सरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इ़ल्म ह़ासिल करने का मौक़अ़ मिला मगर उस ने ह़ासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इ़ल्म ह़ासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़्अ़ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इ़ल्म पर अ़मल न किया)।

किताब के ख़रीदार मु-तवज्जेह हों

किताब की त़बाअ़त में नुमायां ख़राबी हो या सफ़्ह़ात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक-त-बतुल मदीना** से रुजूअ़ फ़रमाइये।

www.dawateislami.net

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला **"यतीम किसे कहते हैं ?"**

दा'वते इस्लामी की मजलिस **"अल मदीनतुल इल्मिय्या** (शो'बए फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा)" ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक-त-बतुल मदीना** से शाएअ़ करवाया है।

इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त़ में तरतीब देते हुए दर्जे ज़ैल मुआ़-मलात को पेशे नज़र रखने की कोशिश की गई है :

(1) क़रीबुस्सौत (या'नी मिलती जुलती आवाज़ वाले) हुरूफ़ के आपसी इम्तियाज़ (या'नी फ़र्क़) को वाज़ेह़ करने के लिये हिन्दी के चन्द मख़्सूस हुरूफ़ के नीचे डॉट (.) लगाने का ख़ुसूसी एहतिमाम किया गया है। मा'लूमात के लिये **"हुरूफ़ की पहचान"** नामी चार्ट मुला-ह़ज़ा फ़रमाइये।

(2) जहां जहां तलफ़्फ़ुज़ के बिगड़ने का अन्देशा था वहां तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदाएगी के लिये जुम्लों में डेश (–) और साकिन ह़र्फ़ के नीचे खोड़ा (्) लगाने का एहतिमाम किया गया है।

(3) उर्दू में लफ़्ज़ के बीच में जहां ع साकिन आता है उस की जगह हिन्दी में सिंगल इन्वर्टेड कोमा (') इस्ति'माल किया गया है। म-सलन دَعوت، اِستِعمال (दा'वत, इस्ति'माल वग़ैरा)।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़-लत़ी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, E-mail या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

www.dawateislami.net

हुरूफ़ की पहचान

फ = پھ	प = پ	भ = بھ	ब = ب	अ = ا
स = ث	ठ = ٹھ	ट = ٹ	थ = تھ	त = ت
ह़ = ح	छ = چھ	च = چ	झ = جھ	ज = ج
ढ = ڈھ	ड = ڈ	ध = دھ	द = د	ख़ = خ
ज़ = ز	ढ़ = ڑھ	ड़ = ڑ	र = ر	ज़ = ذ
ज़ = ض	स = ص	श = ش	स = س	ज़ = ژ
फ़ = ف	ग़ = غ	अ़ = ع	ज़ = ظ	त़ = ط
घ = گھ	ग = گ	ख = کھ	क = ک	क़ = ق
ह = ھ	व = و	न = ن	म = م	ल = ل
ई = اِی / ی	इ = اِ	ऐ = اے	ए = ے	य = ی

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात

MO. 9374031409 ´ E-mail :translationmaktabhind@dawateislami.net

www.dawateislami.net

पहले इसे पढ़ लीजिये !

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ तब्लीगे़ कुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक दा'वते इस्लामी के बानी, शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार** क़ादिरी र-ज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने अपने मख़्सूस अन्दाज़ में सुन्नतों भरे बयानात, इल्मो ह़िक्मत से मा'मूर म-दनी मुज़ा-करात और अपने तरबियत याफ़्ता मुबल्लिग़ीन के ज़रीए थोड़े ही अ़र्से में लाखों मुसल्मानों के दिलों में म-दनी इन्क़िलाब बरपा कर दिया है, आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की सोह़बत से फ़ाएदा उठाते हुए कसीर इस्लामी भाई वक़्तन फ़ वक़्तन मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर होने वाले म-दनी मुज़ा-करात में मुख़्तलिफ़ क़िस्म के मौज़ूआ़त म-सलन अ़क़ाइदो आ'माल, फ़ज़ाइलो मनाक़िब, शरीअ़त व त़रीक़त, तारीख़ व सीरत, साइन्स व त़िब, अख़्लाक़िय्यात व इस्लामी मा'लूमात, रोज़ मर्रा मुआ़-मलात और दीगर बहुत से मौज़ूआ़त से मु-तअ़ल्लिक़ सुवालात करते हैं और शैख़े त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه उन्हें ह़िक्मत आमोज़ और इ़श्क़े रसूल में डूबे हुए जवाबात से नवाज़ते हैं।

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के इन अ़त्ता कर्दा दिलचस्प और इल्मो ह़िक्मत से लबरेज़ म-दनी फूलों की ख़ुश्बूओं से दुन्या भर के मुसल्मानों को महकाने के मुक़द्दस जज़्बे के तह़्त अल मदीनतुल इल्मिय्या का शो'बा **''फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा''** इन म-दनी मुज़ा-करात को काफ़ी तरामीम व इज़ाफ़ों के साथ **''फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा''** के नाम से पेश करने की सआ़दत ह़ासिल कर रहा है। इन तह़रीरी गुलदस्तों का मुत़ा-लआ़ करने से اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ अ़क़ाइदो आ'माल और ज़ाहिरो बात़िन की इस्लाह़, मह़ब्बते इलाही व इ़श्क़े रसूल की ला ज़वाल दौलत के साथ साथ मज़ीद हुसूले इल्मे दीन का जज़्बा भी बेदार होगा।

इस रिसाले में जो भी ख़ूबियां हैं यक़ीनन रब्बे रह़ीम عَزَّوَجَلَّ और उस के मह़बूबे करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की अ़त़ाओं, औलियाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام की इनायतों और अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की शफ़्क़तों और पुर ख़ुलूस दुआ़ओं का नतीजा हैं और ख़ामियां हों तो उस में हमारी ग़ैर इरादी कोताही का दख़्ल है।

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या
(शो'बए फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा)
6 र-मज़ानुल मुबारक 1437 सि.हि.\ 12 जून 2016 ई.

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

यतीम किसे कहते हैं ?

(मअ़ दीगर दिलचस्प सुवाल जवाब)

शैत़ान लाख सुस्ती दिलाए येह रिसाला (28 सफ़्हात) मुकम्मल पढ़ लीजिये। اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ मा'लूमात का अनमोल ख़ज़ाना हाथ आएगा।

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

शहन्शाहे ख़ुश ख़िसाल, पैकरे हुस्नो जमाल صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़लीशान है : जिसे येह पसन्द हो कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की बारगाह में पेश होते वक़्त **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस से राज़ी हो उसे चाहिये कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ़ पढ़े।[1]

क़लील रोज़ी पे दो क़नाअ़त फ़ुज़ूल गोई से दे दो नफ़रत
दुरूद पढ़ता रहूं ब कसरत नबिय्ये रह़मत शफ़ीए़ उम्मत

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

यतीम किसे कहते हैं ?

सुवाल : यतीम किसे कहते हैं ? नीज़ कितनी उ़म्र तक बच्चा या बच्ची यतीम रहते हैं ?

जवाब : वोह ना बालिग़ बच्चा या बच्ची जिस का बाप फ़ौत हो गया हो वोह यतीम है।[2] बच्चा या बच्ची उस वक़्त तक यतीम

1 ..... فِردَوسُ الْاَخبار، باب المیم، ۲/ ۲۸۴، حدیث: ۶۰۸۳

2 ..... دُرِّمختار، کتاب الوصایا، باب الوصیۃ للاقارب وغیرھم، ۱۰/ ۴۱۶

www.dawateislami.net

रहते हैं जब तक बालिग़ न हों, जूं ही बालिग़ हुए यतीम न रहे जैसा कि मुफ़स्सिरे शहीर, ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان फ़रमाते हैं : बालिग़ हो कर बच्चा यतीम नहीं रहता । इन्सान का वोह बच्चा यतीम है जिस का बाप फ़ौत हो गया हो, जानवर का वोह बच्चा यतीम है जिस की मां मर जाए, मोती वोह यतीम है जो सीप में अकेला हो उसे दुर्रे यतीम कहते हैं बड़ा क़ीमती होता है ।[1]

यतीम के सर पर हाथ फेरने की फ़ज़ीलत

सुवाल : यतीम के साथ हुस्ने सुलूक करने और इस के सर पर हाथ फेरने की भी कोई फ़ज़ीलत है ?

जवाब : यतीम के साथ हुस्ने सुलूक करने और इस के सर पर हाथ फेरने की ह़दीसे पाक में बड़ी फ़ज़ीलत आई है चुनान्चे हुस्ने अख़्लाक़ के पैकर, नबियों के ताजवर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने रूह़ परवर है : मुसल्मानों के घरों में बेहतरीन घर वोह है जिस में यतीम के साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो और मुसल्मानों के घरों में बद तरीन घर वोह है जिस में यतीम के साथ बुरा बरताव किया जाता है ।[2] एक और ह़दीसे पाक में इर्शाद फ़रमाया : जो शख़्स यतीम के सर पर महज़ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की रिज़ा के लिये हाथ फेरे तो जितने बालों पर उस का हाथ गुज़रा हर बाल के बदले में उस के लिये नेकियां हैं और जो शख़्स

1 ..... नूरुल इरफ़ान, पारह 4, अन्निसाअ, तह़्तल आयह : 2

2 ..... ابنِ ماجہ، کتاب الأدب، باب حق الیتیم، ۴/۱۹۳، حدیث: ۳۶۷۹

www.dawateislami.net

यतीम लड़की या यतीम लड़के पर एह़सान करे मैं और वोह जन्नत में (दो उंग्लियों को मिला कर फ़रमाया कि) इस त़रह़ होंगे ।[1]

इस ह़दीसे पाक के तह़त मुफ़स्सिरे शहीर, ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان फ़रमाते हैं : जो शख़्स अपने अ़ज़ीज़ या अजनबी यतीम के सर पर हाथ फेरे मह़ब्बत व शफ़्क़त का येह मह़ब्बत सिर्फ़ **अल्लाह** व रसूल (عَزَّوَجَلَّ وصَلَّى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلَّم) की रिज़ा के लिये हो तो हर बाल के इवज़ उसे नेकी मिलेगी । येह सवाब तो ख़ाली हाथ फेरने का है जो इस पर माल ख़र्च करे, उस की ख़िदमत करे, इसे ता'लीम व तरबियत दे सोच लो कि इस का सवाब कितना होगा ।[2] यतीम के सर पर हाथ फेरने से नेकियों के ह़ुसूल के साथ साथ दिल की सख़्ती दूर होती और ह़ाजतें भी पूरी होती हैं जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना अबू दरदा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه से रिवायत है कि एक शख़्स ने नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की बारगाहे अ़ज़ीम में ह़ाज़िर हो कर अपने दिल की सख़्ती की शिकायत की, तो इर्शाद फ़रमाया : क्या तू चाहता है कि तेरा दिल नर्म हो जाए और तेरी ह़ाजतें पूरी हों ? तो यतीम पर रह़्म किया कर और उस के सर पर हाथ फेरा कर और अपने खाने में से उस को खिलाया कर ऐसा करने से तेरा दिल नर्म होगा और ह़ाजतें पूरी होंगी ।[3]

मदीना

1 ...... مُسندِ إمام أحمد، مسند الانصار، حديث أبي أمامة الباهلي، ٨/٢٧٢، حديث: ٢٢٢١٥

2 ...... मिरआतुल मनाजीह़, जि. 6, स. 562

3 ...... مجمع الزوائد، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في الايتام والارامل والمساكين، ٨/ ٢٩٣، حديث: ١٣٥٠٩

www.dawateislami.net

यतीम के सर पर हाथ फेरने का त़रीक़ा

सुवाल : यतीम के सर पर हाथ फेरने का क्या त़रीक़ा है ?

जवाब : जब भी किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरना हो तो सर के पीछे से हाथ फेरते हुए आगे की त़रफ़ ले आइये जैसा कि ह़दीसे पाक में है : लड़का यतीम हो तो उस के सर पर हाथ फेरने में आगे को लाए और जब इस का बाप हो (या'नी बच्चा यतीम न हो) तो हाथ फेरने में गरदन की त़रफ़ ले जाए।[1]

यतीम की दी हुई चीज़ खा पी नहीं सकते

सुवाल : यतीम की हिबा की हुई चीज़ खा पी सकते हैं या नहीं ?

जवाब : यतीम किसी को अपनी कोई चीज़ हिबा नहीं कर सकता क्यूं कि "हिबा सह़ीह़ होने की शराइत़ में से एक शर्त़ हिबा करने वाले का बालिग़ होना भी है।"[2] जब कि यतीम ना बालिग़ होता है। इसी त़रह़ कोई दूसरा भी ना बालिग़ का माल हिबा नहीं कर सकता जैसा कि सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : बाप को येह जाइज़ नहीं कि ना बालिग़ लड़के का माल दूसरे लोगों को हिबा कर दे अगर्चे मुआ़-वज़ा ले कर हिबा करे कि येह भी ना जाइज़ है और ख़ुद बच्चा भी अपना माल हिबा करना चाहे तो नहीं कर सकता या'नी उस ने हिबा कर दिया और मौहूब लह को दे दिया उस से वापस लिया जाएगा कि

1 ...... مُعْجَمِ اَوْسَط، من اسمہ احمد، ۱/۳۵۱، حدیث: ۱۲۷۹

2 ...... बहारे शरीअ़त, जि. 3, ह़िस्सा : 14, स. 69 मुलख़्ख़सन

www.dawateislami.net

(ना बालिग़ का) हिबा जाइज़ ही नहीं। येही हुक्म स-दक़े का है कि ना बालिग़ अपना माल न खुद स-दक़ा कर सकता है न उस का बाप। येह बात निहायत याद रखने की है अक्सर लोग ना बालिग़ से चीज़ ले कर इस्ति'माल कर लेते हैं समझते हैं कि उस ने दे दी ह़ालां कि येह देना न देने के हुक्म में है बा'ज़ लोग दूसरे के बच्चे से (कूंएं से) पानी भरवा कर पीते या वुज़ू करते हैं या दूसरी त़रह़ इस्ति'माल करते हैं येह ना जाइज़ है कि उस पानी का वोह बच्चा मालिक हो जाता है और हिबा नहीं कर सकता फिर दूसरे को उस का इस्ति'माल क्यूंकर जाइज़ होगा। अगर वालिदैन बच्चे को इस लिये चीज़ दें कि येह लोगों को हिबा कर दे या फ़क़ीरों को स-दक़ा कर दे ताकि देने और स-दक़ा करने की आ़दत हो और माल व दुन्या की मह़ब्बत कम हो तो येह हिबा व स-दक़ा जाइज़ है कि यहां ना बालिग़ के माल का हिबा व स-दक़ा नहीं बल्कि बाप का माल है और बच्चा देने के लिये वकील है जिस त़रह़ उ़मूमन दरवाज़ों पर साइल जब सुवाल करते हैं तो बच्चों ही से भीक दिलवाते हैं।[1]-[2]

यतीम के माल का ग़ैर मोह़तात़ इस्ति'माल

सुवाल : जब घर का कोई फ़र्द फ़ौत हो जाता है तो बा'ज़ अवक़ात वोह

---

1 ..... बहारे शरीअ़त, जि. 3, ह़िस्सा : 14, स. 81

2 ..... ना बालिग़ से पानी भरवाने और पानी शरअ़न इस की मिल्क होने या न होने की तफ़्सीलात जानने के लिये दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे मक-त-बतुल मदीना के मत़्बूआ़ रिसाले "पानी के बारे में अहम मा'लूमात" के सफ़ह़ा 20 ता 25 का मुत़ा-लआ़ कीजिये। (शो'बए फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा)

www.dawateislami.net

यतीम बच्चे और माल छोड़ जाता है और उस का तर्का भी तक़्सीम नहीं किया जाता ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये ?

जवाब : इल्मे दीन से दूरी और जहालत के सबब उ़मूमन ख़ानदानों में तर्का तक़्सीम नहीं किया जाता अक्सर वु-रसा में यतीम बच्चे बच्चियां भी शामिल होते हैं और लोग बिला झिजक उन यतीमों का माल खाते पीते और हर त़रह़ से इस्ति'माल करते हैं ह़ालां कि येह सब ना जाइज़ है और इस की त़रफ़ किसी की तवज्जोह ही नहीं होती । याद रखिये ! मय्यित के वु-रसा में से अगर कोई यतीम हो तो जब तक तर्का तक़्सीम कर के यतीम का ह़िस्सा अलग न किया जाए तब तक उस में से मय्यित के ईसाले सवाब के लिये स-दक़ा व ख़ैरात वग़ैरा भी नहीं कर सकते । पारह 4 **सू-रतुन्निसाअ** की आयत नम्बर 10 में ख़ुदाए **रह़मान** عَزَّوَجَلَّ का फ़रमाने आ़लीशान है :

اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًاؕ وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا ﴿۱۰﴾

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो यतीमों का माल नाह़क़ खाते हैं वोह तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं और कोई दाम जाता है कि भड़क्ते धड़े में जाएंगे ।

इस आयते मुबा-रका के तह़्त मुफ़स्सिरे शहीर, ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان फ़रमाते हैं : "जब यतीम का माल अपने माल से मिला कर खाना (मु-तअ़द्दद सूरतों में) ह़राम हुवा तो अला-ह़दा त़ौर पर खाना भी ज़रूर ह़राम है । इस से मा'लूम हुवा कि यतीम को हिबा

www.dawateislami.net

दे सकते हैं मगर इस का हिबा ले नहीं सकते । येह भी मा'लूम हुवा कि वारिसों में जिस के यतीम भी हों उस के तर्के से नियाज़, फ़ातिहा ख़ैरात करना ह़राम है और इस खाने का इस्ति'माल ह़राम । अव्वलन माल तक़्सीम करो फिर बालिग़ वारिस अपने माल से ख़ैरात करे ।" मज़ीद फ़रमाते हैं : "जब मय्यित के यतीम या ग़ाइब वारिस हों तो माले मुश्तरक में से इस की फ़ातिहा तीजा वग़ैरा ह़राम है कि इस में यतीम का ह़क़ शामिल है बल्कि पहले तक़्सीम करो फिर कोई बालिग़ वारिस अपने ह़िस्से से येह सारे काम करे वरना जो भी वोह खाएगा दोज़ख़ की आग खाएगा । क़ियामत में उस के मुंह से धूआं निकलेगा । ह़दीस शरीफ़ में है कि यतीम का माल ज़ुल्मन खाने वाले क़ियामत में इस त़रह़ उठेंगे कि उन के मुंह, कान और नाक से बल्कि उन की क़ब्रों से धूआं उठता होगा जिस से वोह पहचाने जाएंगे कि येह यतीमों का माल नाह़क़ खाने वाले हैं ।"(1)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आज कल ह़ालात इन्तिहाई ना गुफ़्ता बिह हैं यतीमों का माल खाने से बचने का ज़ेह्न ही नहीं होता । घर में किसी के फ़ौत हो जाने पर अगर सारे वु-रसा बालिग़ हों वहां तो एक दूसरे से ह़ुक़ूक़ मुआ़फ़ भी करवाए जा सकते हैं और अगर एक भी ना बालिग़ बच्चा वारिसों में शामिल हो तो फिर जो लोग शरीअ़त के पाबन्द हैं वोह सख़्त इम्तिह़ान में पड़ जाते हैं क्यूं कि फ़ी ज़माना

1 ..... دُرِّ منثور، پ۴، النسآء، تحت الآیۃ: ۱۰، ۲/۴۴۳ باختلاف بعض الالفاظ

www.dawateislami.net

ख़ानदान वालों का ज़ेह्न बनाना हर एक के बस का काम भी नहीं है। अगर कहीं सरा-हतन या दला-लतन मा'लूम हो कि मय्यित के घर वालों ने अभी तक तर्का तक़्सीम नहीं किया और मय्यित के वु-रसा में ना बालिग़ भी हैं तो वहां खाने पीने वग़ैरा से इज्तिनाब किया जाए।[1]

यतीम का माल खाने से बचने का जज़्बा

सुवाल : यतीम का माल खाने से बचने के ह़वाले से एक दो वाक़िआ़त बयान फ़रमा दीजिये ताकि यतीम का माल खाने से बचने का जज़्बा पैदा हो।

जवाब : यतीम का माल नाह़क़ खाने की क़ुरआनो ह़दीस में जो वईदात हैं उन पर ग़ौर कर के अपने आप को डराया जाए तो اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ उस से बचने में काम्याबी ह़ासिल हो सकती है। बहर ह़ाल एक मोह़तात़ मुबल्लिग़े दा'वते इस्लामी का वाक़िआ़ पेश किया जाता है اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ आप को इस में एह़तियात़ के काफ़ी मुश्कबार म-दनी फूल चुनने को मिलेंगे चुनान्चे एक मुबल्लिग़े दा'वते इस्लामी अपने सफ़र में बा'ज़ अवक़ात एक ऐसे घर में क़ियाम करते थे जहां तीन सगे भाई इकठ्ठे रहते थे। सब से बड़ा भाई मु-तवस्सितुल ह़ाल ताजिर था। उस की वफ़ात हो गई, उन मुबल्लिग़े दा'वते इस्लामी को

---

1 ..... मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अगर किसी के घर में फ़ौतगी हो जाए और मय्यित तर्का छोड़े तो जल्द अज़ जल्द दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत से शर-ई रहनुमाई ले कर उस तर्के को वु-रसा में तक़्सीम कर लिया जाए इसी में बचत और आ़फ़िय्यत है।

(शो'बए फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा)

www.dawateislami.net

फिर सफ़र में उसी घर में क़ियाम करना पड़ा और दौराने गुफ़्त-गू येह बात सामने आई कि मर्हूम के दो ना बालिग़ बच्चे भी हैं और तर्का भी तक़्सीम नहीं हुवा। घर के सारे अफ़राद मिलजुल कर अब भी पहले की त़रह़ खाते पीते और घर की तमाम अश्या में तसर्रुफ़ करते हैं और उन मुबल्लिग़ की भी इसी माल से मेहमान नवाज़ी की जाएगी। वोह घबरा गए और उन्हों ने मर्हूम के उस भाई को जो अब उन दो यतीम बच्चों का सर परस्त था बताया कि मैं आप के यहां क़ियाम कर सकता हूं और न ही खा पी सकता हूं और न ही आप की गाड़ी पर सुवार हो सकता हूं क्यूं कि आप के घर की हर चीज़ में अब इन दो यतीम बच्चों का भी ह़िस्सा शामिल हो गया है और मैं इन यतीम बच्चों की चीज़ों में कैसे तसर्रुफ़ करूं ? बहर ह़ाल वोह मुबल्लिगे़ दा'वते इस्लामी उस घर से दूसरी जगह चले गए और उन्हों ने अपने दिल को मुत्मइन करने के लिये दोनों यतीम बच्चों के लिये मुनासिब रक़म ब इसरार पेश की और येह भी निय्यत शामिल की कि मेरी वज्ह से जो जो इस्लामी भाई मुलाक़ात वग़ैरा के लिये आए और यहां खाया पिया उन की भी ख़लासी हो जाए उन मुबल्लिगे़ दा'वते इस्लामी के समझाने पर अब उन घर वालों ने तर्के की हर हर शै का ह़िसाब कर के ना बालिग़ बच्चों का ह़िस्सा जुदा महफ़ूज़ कर लिया है।[1]

---

1 ..... मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! वोह मोह़तात़ मुबल्लिग़ शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना **अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार** क़ादिरी र-ज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه थे। (शो'बए फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा)

www.dawateislami.net

(शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने एक म-दनी मुज़ा-करे में अपना वाक़िआ़ यूं बयान फ़रमाया है :) मेरे बड़े भाई जब फ़ौत हुए तो उस वक़्त तक वालिदे मर्ह़ूम عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَيُّوم का तर्का तक़्सीम नहीं हुवा था। इन के छोड़े हुए माल ही में कारोबार होता रहा। बड़े भाईजान का इन्तिक़ाल होने पर मैं सख़्त आज़्माइश में आ गया क्यूं कि इन के पांच यतीम बच्चे भी थे और इन यतीम बच्चों की मां भी। अब भाई की मिल्किय्यत वाली हर चीज़ में इन सब का ह़क़ शामिल हो गया। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ मैं ने शरीअ़त के मुत़ाबिक़ तर्का तक़्सीम किया और इन को ज़ाइद पेश किया ताकि मेरी त़रफ़ उन का कोई ह़क़ रह न जाए मगर फिर भी ख़ौफ़ आता था कि कहीं उन यतीमों के माल में मुझ से ह़क़ त-लफ़्फ़ी न हो गई हो। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ अब मेरे पांचों भतीजे बालिग़ हो चुके हैं और मैं ने अपने पांचों भतीजों और इन की अम्मीजान से मुआ़फ़ी ह़ासिल कर ली है। **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उन्हें दराज़िये उ़म्र बिलख़ैर अ़त़ा फ़रमाए और हर त़रह़ से अपनी ह़िफ़्ज़ो अमान में रखे। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰه تعالٰى عليه واٰله وسلَّم

यतीम मुआ़फ़ नहीं कर सकता

सुवाल : अगर यतीम बच्चे ब ख़ुशी मुआ़फ़ कर दें तो क्या मुआ़फ़ी हो सकती है ? नीज़ मसाइल मा'लूम न होने के सबब जिस ने ना बालिग़ या यतीम का माल खाया और येह भी मा'लूम नहीं कि कितना खाया और अब वोह बच्चे बालिग़ हो चुके हैं उसे क्या करना चाहिये ?

www.dawateislami.net

जवाब : ना बालिग़ बच्चे मुआ़फ़ नहीं कर सकते, अगर वोह मुआ़फ़ कर दें तब भी मुआ़फ़ नहीं होगा लिहाज़ा मसाइल मा'लूम न होने के सबब जिस ने ना बालिग़ या यतीम का माल खाया तो वोह ज़न्ने ग़ालिब का ए'तिबार करते हुए इतना माल उन को लौटाए और साथ में उन से मुआ़फ़ी भी मांगे। हां बालिग़ होने के बा'द वोह "साबिक़ा ना बालिग़ या यतीम" अपनी ख़ुशी से चाहें तो मुआ़फ़ भी कर सकते हैं लेकिन मुआ़फ़ी मांगने की बजाए उन का माल ही लौटाना चाहिये फिर अगर वोह माल लेने की बजाए मुआ़फ़ कर दें तो उन की मरज़ी है चुनान्चे मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : यतीमों का ह़क़ किसी के मुआ़फ़ किये मुआ़फ़ नहीं हो सकता यहां तक कि ख़ुद यतीम का दादा या मां किसी ना बालिग़ के मां बाप इस का ह़क़ किसी को मुआ़फ़ कर दें हरगिज़ मुआ़फ़ न होगा فَاِنَّ الْوِلَايَةَ لِلنَّظَرِ لَا لِلضَّرَرِ (क्यूं कि विलायत व सर परस्ती निगरानी के लिये ह़ासिल होती है नुक़्सान देने के लिये नहीं।) बल्कि ख़ुद यतीम व ना बालिग़ भी मुआ़फ़ नहीं कर सकते न उन की मुआ़फ़ी का कुछ ए'तिबार है لِلْحِجْرِ التَّامِ عَمَّا هُوَ ضَرَرٌ (क्यूं कि नुक़्सान देह मुआ़-मले में तसर्रुफ़ करने से उन्हें मुकम्मल रोक दिया गया है।) मह्ज़ यतीमों का ह़क़ ज़रूर देना पड़ेगा और जो निकलवा सकता है उसे चाहिये कि ज़रूर दिला दे, हां यतीम बालिग़ होने के बा'द मुआ़फ़ करे तो उस वक़्त मुआ़फ़ हो सकेगा।[1]

1 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 6, स. 496

www.dawateislami.net

लड़के और लड़की के बालिग़ होने की उ़म्र

सुवाल : लड़का और लड़की कब बालिग़ होते हैं ?

जवाब : हिजरी सिन के ह़िसाब से 12 से 15 साल की उ़म्र के दौरान जब भी लड़के को इन्ज़ाल हो या सोते में एह़तिलाम हो या उस के जिमाअ़ से औ़रत ह़ामिला हो गई हो तो उसी वक़्त बालिग़ हो गया और उस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो गया। अगर ऐसा न हुवा तो हिजरी सिन के मुत़ाबिक़ 15 बरस का होते ही बालिग़ हो जाएगा। इसी त़रह़ हिजरी सिन के ह़िसाब से 9 से 15 साल की उ़म्र के दौरान लड़की को जब भी एह़तिलाम हो या ह़ैज़ आ जाए या ह़म्ल ठहर जाए तो बालिग़ा हो गई वरना हिजरी सिन के मुत़ाबिक़ 15 साल की होते ही बालिग़ा है।[1]

क़ब्र पर बैठना ह़राम है

सुवाल : क़ब्र पर बैठना कैसा है ?

जवाब : क़ब्र पर बैठना ह़राम है। दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे मक-त-बतुल मदीना की मत़्बूआ़ 1250 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, "बहारे शरीअ़त" जिल्द अव्वल सफ़ह़ा 847 पर है "क़ब्र पर बैठना, सोना, चलना, पाख़ाना, पेशाब करना ह़राम है। क़ब्रिस्तान में जो नया रास्ता निकाला गया उस से गुज़रना ना जाइज़ है। ख़्वाह नया होना उसे मा'लूम हो या इस का गुमान हो।" नबिय्ये पाक, साह़िबे लौलाक صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : तुम में से किसी का

1 ..... اَلدُّرُّ الْمُخْتَار و رَدُّ الْمُحْتَار، کتاب الحجر، فصل: بلوغ الغلام بالاحتلام، ۹/۲۵۹-۲۶۰ مُلَخَّصاً

www.dawateislami.net

अंगारों पर बैठना और उन का उस के कपड़े जला कर जिल्द तक पहुंच जाना उस के लिये इस से बेहतर है कि किसी क़ब्र पर बैठे।[1] **ह़ज़रते** सय्यिदुना उ़मारा बिन ह़ज़्म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ फ़रमाते हैं कि **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने मुझे एक क़ब्र के ऊपर बैठे देखा तो इर्शाद फ़रमाया : ऐ क़ब्र (के ऊपर बैठने) वाले ! नीचे उतर जा, न तू क़ब्र वाले को ईज़ा दे न वोह तुझे ईज़ा दे।[2]

मुसल्मानों की क़ब्रों को रोंदना जाइज़ नहीं

सुवाल : क़ब्रिस्तान में जा बजा क़ब्रें हों तो क्या अपने अइज़्ज़ा व अक़्रिबा को ईसाले सवाब करने के लिये उन की क़ुबूर तक जा सकते हैं ?

जवाब : ईसाले सवाब करने के लिये अपने अ़ज़ीज़ो अक़ारिब की क़ुबूर पर जा सकते हैं लेकिन वहां तक पहुंचने के लिये दूसरे मुसल्मानों की क़ब्रों को रोंदना जाइज़ नहीं। **ह़दी-क़तुन्नदिय्यह** में है : पैर की आफ़तों में से क़ब्रों पर चलना भी है।[3] अगर दूसरी क़ब्रों पर पाउं रखे बिग़ैर अपने अइज़्ज़ा व अक़्रिबा की क़ब्रों तक जाना मुम्किन न हो तो दूर ही से फ़ातिह़ा पढ़ लीजिये क्यूं कि क़ब्रों पर जाना मुस्तह़ब काम है और मुसल्मान की क़ब्र पर पाउं रखना ह़राम, मुस्तह़ब काम के लिये ह़राम

---

1 ..... مُسلِم، کتاب الجنائز، النھی عن الجلوس علی القبر...الخ، ص۴۸۳، حدیث: ۹۷۱

2 ..... مَجْمَعُ الزَّوائِد، کتاب الجنائز، باب البناء علی القبور...الخ، ۳/۱۹۱، حدیث: ۴۳۲۱

3 ..... حَدِیْقَۃ نَدِیَّۃ، ۲/۵۰۴

www.dawateislami.net

काम की शरीअ़त में इजाज़त नहीं। मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : इस का लिह़ाज़ लाज़िम है कि जिस क़ब्र के पास बिल ख़ुसूस जाना चाहता है उस तक (ऐसा) क़दीम (या'नी पुराना) रास्ता हो (जो कि क़ब्रें मिटा कर न बनाया गया हो), अगर क़ब्रों पर से हो कर जाना पड़े तो इजाज़त नहीं, सरे राह दूर खड़े हो कर एक क़ब्र की त़रफ़ मु-तवज्जेह हो कर ईसाले सवाब कर दे।[1]

ह़दीसे पाक में है कि मुझे तलवार पर चलना मुसल्मान की क़ब्र पर चलने से ज़ियादा पसन्द है।[2] **बहूरुर्राइक़** में है : क़ब्रों की ज़ियारत और मुसल्मान मुर्दों के ह़क़ में दुआ़ करने में ह़रज नहीं बशर्ते कि क़ब्रें रोंदी न जाएं।[3] **फ़त्ह़ुल क़दीर** में है : क़ब्र पर बैठना और इस को रोंदना मक्रूह है तो वोह लोग जिन के रिश्तेदारों के गिर्द दूसरों की क़ब्रें हों उन का क़ब्रों को रोंदना अपने क़रीबी रिश्तेदार की क़ब्र तक पहुंचने के लिये मक्रूह है।[4]

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! कुबूरे मुस्लिमीन का अ-दबो एह़तिराम कीजिये और इन को रोंदने से बचिये बिल ख़ुसूस

---

1 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 9, स. 524

2 ..... ابنِ ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی النھی عن المشی...الخ، ۲/۲۴۹-۲۵۰، حدیث: ۱۵۶۷ ملتقطاً

3 ..... بَحْرُ الرّائِق، کتاب الجنائز، فصل السلطان احق بصلاتہ، ۲/۳۴۲

4 ..... فَتْحُ الْقَدِیر، کتاب الصلاۃ، باب الشھید، ۲/۱۰۲

www.dawateislami.net

मक्कए मुकर्रमा व मदीनए मुनव्वरह زَادَهُمَااللّٰهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا जाने वाले आ़शिक़ाने रसूल जन्नतुल मा'ला और जन्नतुल बक़ीअ़ के मदफ़ूनीन की ख़िदमत में क़ब्रिस्तान के बाहर ही से खड़े हो कर सलाम अ़र्ज़ करें और दुआ़ मांगें क्यूं कि अब सह़ाबए किराम, अहले बैते अत़्हार और औलियाए किराम رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن के मज़ारात और आ़म मुस्लिमीन की क़ुबूर को शहीद कर दिया गया है। अगर आप अन्दर गए तो कहीं ऐसा न हो कि आप का पाउं किसी के मज़ार शरीफ़ पर पड़ जाए और बे अ-दबी हो जाए। **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ हमें बे अ-दबी से बचाए।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰه تعالٰى عليه واٰله وسلَّم

जो है बा अदब वोह बड़ा बा नसीब और
जो है बे अदब वोह निहायत बुरा है

(वसाइले बख़्शिश)

बच्चे को सुलाने के लिये अफ़्यून खिलाना

सुवाल : बच्चे को सुलाने के लिये अफ़्यून खिलाना कैसा है ?

जवाब : फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 24 सफ़ह़ा 198 पर है : अफ़्यून ह़राम है, (लेकिन) नजिस नहीं, (लिहाज़ा) ख़ारिजे बदन पर इस का इस्ति'माल जाइज़ है। बच्चे को सुलाने या रोने से बाज़ रखने के लिये अफ़्यून देना ह़राम है और इस का गुनाह उस देने वाले पर है बच्चे पर नहीं।

www.dawateislami.net

अफ़्यून, भंग वग़ैरा को बत़ौरे दवा इस्ति'माल करना कैसा ?

सुवाल : अफ़्यून, भंग और चरस को बत़ौरे दवा इस्ति'माल कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : अगर दवा के लिये किसी मुरक्कब में अफ़्यून, या भंग या चरस का इतना जुज़ डाला जाए कि जिस का अ़क़्ल पर अस्लन असर न हो (या'नी नशा न चढ़े तो) ह़रज नहीं बल्कि अफ़्यून में इस से भी बचना चाहिये कि इस ख़बीस का असर है कि मे'दे में सूराख़ कर देती है ।[1]

ह़ामिला औ़रत को त़लाक़ देने का ह़ुक्म

सुवाल : क्या ह़ामिला औ़रत को त़लाक़ देने से त़लाक़ वाक़ेअ़ हो जाती है ?

जवाब : ह़म्ल में त़लाक़ न दी जाए लेकिन फिर भी अगर किसी ने अपनी ह़ामिला बीवी को त़लाक़ दी तो त़लाक़ वाक़ेअ़ हो जाएगी । पारह 28 **सू-रतुत्त़लाक़** की आयत नम्बर 4 में ख़ुदाए रह़मान عَزَّوَجَلَّ का फ़रमाने आ़लीशान है :

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और ह़म्ल वालियों की मीआ़द येह है कि वोह अपना ह़म्ल जन लें ।

---

1 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 25, स. 213

www.dawateislami.net

एक और जगह इर्शाद होता है :

وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
(پ ۲۸، الطّلاق: ۶)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और अगर ह़म्ल वालियां हों तो उन्हें नान व नफ़्क़ा दो यहां तक कि उन के बच्चा पैदा हो ।

क़ुरआने पाक का ह़ामिला औ़रत की इ़द्दत और इस के नान नफ़्के़ का बयान करना इस बात की दलील है कि ह़ालते ह़म्ल में त़लाक़ वाक़ेअ़ हो जाती है । याद रखिये ! ह़ामिला औ़रतों की इ़द्दत वज़्ए़ ह़म्ल (या'नी बच्चा जनने तक) है ख़्वाह वोह इ़द्दत त़लाक़ की हो या वफ़ात की । जैसे ही बच्चा पैदा हो इ़द्दत ख़त्म हो जाएगी म-सलन एक दिन में बच्चा पैदा हो गया तो एक ही दिन में इ़द्दत ख़त्म और अगर म-सलन छ6 माह में बच्चा पैदा हुवा तो छ6 माह तक इ़द्दत रहेगी ।

जहेज़ का मालिक कौन ?

सुवाल : जहेज़ मर्द या औ़रत में से किस की मिल्क होता है ?

जवाब : जहेज़ औ़रत की मिल्क होता है ।[1] शादी बियाह के मौक़अ़ पर लड़की को जो कुछ जहेज़ में (ज़ेवरात और दीगर सामान वग़ैरा) वालिदैन, अ़ज़ीज़ो अक़ारिब और लड़के वालों की त़रफ़ से दिया जाता है, वोह सब लड़की की मिल्किय्यत होता है क्यूं कि जहेज़ के मुआ़-मले में फ़ु-क़हा ने उ़र्फ़ (मुआ़-शरे में जैसा रवाज है उस) को मो'तबर जाना है ।

1 ردُّ المحتار، کتاب الطلاق، مطلب فیما لوزفت الیہ بلاجھاز یلیق بہ، ۵/ ۳۰۲

www.dawateislami.net

फ़िक़्ह की किताबों में अ़-रबो अ़जम के बारे में येही लिखा है कि जहेज़ और शादी के वक़्त लड़की को दोनों जानिब से जो ज़ेवरात और कपड़े वग़ैरा दिये जाते हैं वोह लड़की ही की मिल्किय्यत होते हैं लिहाज़ा उ़र्फ़ का ए'तिबार होगा। नीज़ त़लाक़ के बा'द भी येह तमाम ज़ेवरात वग़ैरा जो लड़के वालों की जानिब से लड़की को मिले हैं येह सब लड़की की मिल्किय्यत होंगे। पाक व हिन्द में ऐसा ही उ़र्फ़ है कि शादी के वक़्त लड़की को मालिक बना कर ज़ेवरात वग़ैरा दे दिये जाते हैं न कि आ़रियतन (वापस ली जाने वाली चीज़) ! त़लाक़ के बा'द अगर किसी बिरादरी (ख़ानदान) में येह उ़र्फ़ हो कि लड़के वाले अपने ज़ेवरात वापस ले लेते हैं तो इस उ़र्फ़ का ए'तिबार न होगा। लड़की जिस चीज़ की मालिक हो चुकी है उस में बिरादरी (ख़ानदान) वाले अगर येह फ़ैसला करें कि त़लाक़ के बा'द उस से उस की मिल्किय्यत सल्ब कर ली जाएगी तो येह रवाज शरीअ़त के ख़िलाफ़ है। हां ! अगर किसी बिरादरी (ख़ानदान) में येह रवाज हो कि देते वक़्त मालिक बना कर न देते हों बल्कि आ़रियत के त़ौर पर देते हों और बिरादरी (ख़ानदान) वाले इस उ़र्फ़ पर शाहिद हों तो इस उ़र्फ़ का ए'तिबार होगा और लड़की मालिक न होगी।[1]

यहां तक कि अगर बाप ने बेटी के लिये जहेज़ तय्यार किया और उसे बेटी के सिपुर्द कर दिया या'नी मालिकाना त़ौर पर दे दिया तो अब बाप भी वापस नहीं ले सकता जैसा कि **दुर्रे**

1 ..... वक़ारुल फ़तावा, जि. 3, स. 256 मुलख़्ख़सन

www.dawateislami.net

मुख़्तार में है कि किसी शख़्स ने अपनी बेटी को कुछ जहेज़ दिया और वोह उस के सिपुर्द भी कर दिया तो अब उस से वापस नहीं ले सकता और न ही उस के मरने के बा'द उस के वारिस वापस ले सकते हैं बल्कि वोह ख़ास औ़रत की मिल्किय्यत है और इसी पर फ़तवा दिया जाता है बशर्ते कि उस ने येह जहेज़ ह़ालते सिह़्ह़त में बेटी के सिपुर्द किया हो (या'नी म-रज़ुल मौत में न दिया हो)।[1]

शोहर ज़ौजा का जहेज़ नहीं रख सकता

सुवाल : ज़ौजा फ़ौत हो जाए तो क्या सारा जहेज़ शोहर रख सकता है या नहीं ?

जवाब : ज़ौजा फ़ौत हो जाए तो शोहर या कोई और उस के जहेज़ वग़ैरा का तन्हा मालिक या ह़क़दार नहीं हो सकता बल्कि वोहा सारा सामान जो औ़रत की ज़ाती मिल्किय्यत था, उस के मरने के बा'द शर-ई क़ानून के मुत़ाबिक़ वु-रसा में तक़्सीम होगा जैसा कि मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : जहेज़ हमारे बिलाद के उ़र्फ़े आ़म शाएअ़ से ख़ास मिल्के ज़ौजा होता है जिस में शोहर का कुछ ह़क़ नहीं, त़लाक़ हुई तो कुल लेगी और मर गई तो उसी के वु-रसा पर तक़्सीम होगा।[2]

---

1 ..... دُرِّمُختار، کتاب النکاح، باب المهر، ۴/۳۰۴

2 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 12, स. 203

www.dawateislami.net

ज़ौजा के तर्के में शोहर का हिस्सा

सुवाल : अगर ज़ौजा फ़ौत हो जाए तो उस के माल में से शोहर को क्या मिलेगा ?

जवाब : ज़ौजा फ़ौत हो जाए तो उस के माल में से सब से पहले सुन्नत के मुताबिक़ उस की तज्हीज़ो तक्फ़ीन और तदफ़ीन का एहतिमाम किया जाए, फिर इस के बा'द उस का क़र्ज़ हो तो वोह अदा किया जाए, फिर अगर उस ने कोई जाइज़ वसिय्यत की है तो उस के माल के तीसरे हिस्से से उस की वसिय्यत को पूरा किया जाए, फिर इस के बा'द जो माल बच जाए उस में से शोहर को हिस्सा मिलने की दो सूरतें हैं अगर ज़ौजा का बेटा बेटी या पोता पोती में से कोई न हो तो इस सूरत में शोहर को कुल माल का आधा मिलेगा और अगर ज़ौजा का बेटा बेटी या पोता पोती में से कोई हो तो इस सूरत में शोहर को कुल माल का चौथाई हिस्सा मिलेगा चुनान्चे पारह 4 **सू-रतुन्निसाअ** की आयत नम्बर 12 में ख़ुदाए रह़मान عَزَّوَجَلَّ का फ़रमाने आ़लीशान है :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और तुम्हारी बीबियां जो छोड़ जाएं उस में से तुम्हें आधा है अगर उन की औलाद न हो फिर अगर उन की औलाद हो तो उन के तर्के में से तुम्हें चौथाई है जो वसिय्यत वोह कर गईं और दैन निकाल कर ।

www.dawateislami.net

क्या कबूतर सय्यिद होते हैं ?

सुवाल : अ़वाम में येह मश्हूर है कि कबूतर सय्यिद हैं येह कहां तक दुरुस्त है ?

जवाब : अ़वाम में येह ग़लत़ मश्हूर है कोई भी जानवर सय्यिद नहीं होता। अलबत्ता ह़रम शरीफ़ के कबूतर उन कबूतरों की नस्ल में से हैं जिन्हों ने ग़ारे सौर के दरवाज़े पर घोंसला बना कर अन्डे दिये थे, चुनान्चे जब कुफ़्फ़ारे ना हन्जार सरकारे आ़ली वक़ार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को ढूंड रहे थे और सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ग़ारे सौर में तशरीफ़ ले गए तो "**अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने एक दरख़्त को ग़ार के दरवाज़े पर उगने का हुक्म दिया, मकड़ी को ग़ार के दरवाज़े पर जाला तनने का हुक्म दिया और दो जंगली कबूतर भेजे वोह ग़ार के दरवाज़े पर ठहर गए और घोंसला बना दिया। मुश्रिकीन येह देख कर वापस लौट गए कि ग़ार में कोई भी नहीं, तो सरकारे आ़ली वक़ार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उन कबूतरों पर अपना दस्ते शफ़्क़त फेरा और उन्हें दुआ़ए ख़ैर से नवाज़ा तो ह़रम शरीफ़ के कबूतर उन्ही कबूतरों की नस्ल से हैं।"[1]

मुफ़स्सिरे शहीर, ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان फ़रमाते हैं : उस ग़ार के दरवाज़े पर पहुंच कर बा'ज़ काफ़िर बोले कि इस के अन्दर जा के देख लो तो दूसरे बोले कि अगर इस में कोई घुसा होता तो जाला और कबूतरी के अन्डे टूट जाते एक बोला कि येह जाला तेरी

1 ..... مُسندِ بزار، مسند زید بن ارقم، ۱۰/۲۴۶، حدیث: ۴۳۴۴ مُلخصاً

www.dawateislami.net

पैदाइश से पहले का है ह़ालां कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) के अन्दर पहुंच जाने के बा'द वोह जाला मकड़ी ने तना था कबूतरी ने अन्डे दिये थे अगर रब (عَزَّوَجَلَّ) चाहे तो अपने महबूब (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) को मकड़ी के जाले की ज़रीए़ बचाए, ग़ज़ब करे तो फ़िरऔ़न को उस के क़ल्ए़ की दीवारें न बचा सकें । बुज़ुर्गाने दीन (رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن) फ़रमाते हैं कि ह़रम के कबूतर उसी कबूतरी की नस्ल हैं जिस ने वहां अन्डे दिये थे उन का अब तक एह़तिराम है ।[1] इमाम बूसीरी عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِی फ़रमाते हैं :

ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوْتَ عَلٰى
خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُمِ (قصیدۂ بردہ)

या'नी मुश्रिकीन ने कबूतरी और मकड़ी के बारे में गुमान किया कि येह ख़ैरुल बरिय्या, सय्यिदुल वरा, जनाबे मुह़म्मदे मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर (इन की ह़िफ़ाज़त के लिये) जाला तनने वाली और अन्डे देने वाली नहीं हैं ।

कबूतर के पाउं सुर्ख़ होने का वाक़िआ़

सुवाल : कहते हैं कि इमामे आ़ली मक़ाम ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे हुसैन رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه की शहादत के बा'द कबूतर ने अपने पाउं ख़ूने इमाम से तर किये और करबलाए मुअ़ल्ला से परवाज़ करता हुवा मदीनए मुनव्वरह زَادَهَا اللهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا में सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की बारगाह में फ़रियाद के लिये ह़ाज़िर हुवा उस वक़्त से कबूतर के पाउं सुर्ख़ हो गए । येह

1 ..... मिरआतुल मनाजीह़, जि. 8, स. 255

www.dawateislami.net

बात कहां तक दुरुस्त है ?

जवाब : इमामे आ़ली मक़ाम ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे ह़ुसैन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ की शहादत के बा'द कबूतर का अपने पाउं ख़ूने इमाम से तर करने और फिर करबलाए मुअ़ल्ला से परवाज़ करते हुए राह़ते क़ल्बे नाशाद, मह़बूबे रब्बुल इ़बाद صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की बारगाह में फ़रियाद के लिये ह़ाज़िर होने का वाक़िआ़ मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, अलबत्ता **तफ़्सीरे सावी** में कबूतर के पाउं सुर्ख़ होने का ईमान अफ़रोज़ वाक़िआ़ कुछ यूं है : (तूफ़ाने नूह़ गुज़र जाने के बा'द जब नूह़ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की कश्ती कोहे जूदी पर ठहर गई तो) ह़ज़रते सय्यिदुना नूह़ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने ज़मीन की ख़बर लाने के लिये किसी को भेजने का इरादा फ़रमाया तो सब से पहले मुर्ग़ी ने अ़र्ज़ की : मैं ज़मीन की ख़बर लाऊंगी । आप عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने उस के बाज़ूओं पर मोह़र लगा कर फ़रमाया : तुझ पर मेरी मोह़र लग चुकी है कि तू हमेशा लम्बी परवाज़ नहीं कर सकेगी और मेरी उम्मत तुझ से फ़ाएदा ह़ासिल करेगी । फिर आप عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने कव्वे को भेजा मगर वोह एक मुर्दार को देख कर उस पर उतर पड़ा और वापस नहीं आया । आप عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने उस पर ला'नत फ़रमा दी और उस के लिये ख़ौफ़ में मुब्तला रहने की दुआ़ कर दी चुनान्चे कव्वे को ह़िल्लो ह़रम में कहीं भी पनाह नहीं । फिर आप عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने कबूतर को भेजा तो वोह ज़मीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्के सबा से ज़ैतून की एक पत्ती चोंच में ले कर आ गया । आप عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने उस से

www.dawateislami.net

फ़रमाया : तुम ज़मीन पर नहीं उतरे इस लिये फिर जाओ और ज़मीन की ख़बर लाओ चुनान्चे कबूतर दोबारा रवाना हुवा और मक्कए मुकर्रमा زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًاوَّتَعۡظِيۡمًا में ह़-रमे का'बए मुशर्रफ़ा की ज़मीन पर उतरा और देख लिया कि पानी ज़मीने ह़रम से ख़त्म हो चुका है और सुर्ख़ रंग की मिट्टी ज़ाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पाउं सुर्ख़ मिट्टी से रंगीन हो गए और वोह उसी ह़ालत में ह़ज़रते सय्यिदुना नूह़ عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के पास वापस आ गया और अ़र्ज़ की : **या नबिय्यल्लाह !** मेरे लिये येह बात ख़ुशी का बाइ़स होगी कि आप عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام मेरे गले में ख़ूब सूरत हार पहना दीजिये और मेरे पाउं सुर्ख़ फ़रमा दीजिये और मुझे ज़मीने ह़रम में रिहाइश का शरफ़ बख़्श दीजिये । ह़ज़रते सय्यिदुना नूह़ عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने कबूतर की चोंच और गरदन पर दस्ते शफ़्क़त फेरा, उसे हार पहनाया, उस के पाउं को सुर्ख़ी अ़त़ा फ़रमाई, उस के लिये और उस की औलाद के लिये ब-र-कत की दुआ़ मांगी ।(1)

कबूतर की ख़ास आ़दात व सिफ़ात

सुवाल : कबूतर की कुछ ख़ास आ़दात बयान फ़रमा दीजिये ।

जवाब : ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ल्लामा कमालुद्दीन अद्दमीरी عَلَيۡهِ رَحۡمَةُ اللّٰهِ الۡقَوِی फ़रमाते हैं : कबूतर की ख़ास आ़दत येह है कि अगर उस को एक हज़ार मील के फ़ासिले से भी छोड़ा जाए तो येह उड़ कर अपने घर पहुंच जाता है नीज़ दूर दराज़ मुल्कों से ख़बरें लाता और ले जाता है और येह भी देखने में आया है कि अगर

1 ...... تفسیر صاوی، پ۱۲، ھود، تحت الآیۃ: ۴۸، ۳/۹۱۶ مُلخصاً

www.dawateislami.net

कभी किसी का पालतू कबूतर और किसी जगह पकड़ा गया और तीन तीन साल या इस से भी ज़ियादा मुद्दत तक अपने घर से ग़ाइब रहा मगर बा वुजूद इस त़वील ग़ैर ह़ाज़िरी के वोह अपने घर को नहीं भूलता और अपनी सबाते अ़क़्ल, क़ुव्वते ह़ाफ़िज़ा और कशिशे घर पर बराबर क़ाइम रहता है और जब कभी उसे मौक़अ़ मिलता है उड़ कर अपने घर आ जाता है। मज़ीद फ़रमाते हैं : अगर किसी शख़्स के आ'ज़ा शल हो जाएं या लक़्वा, फ़ालिज का असर हो जाए तो ऐसे शख़्स को किसी ऐसी जगह जहां कबूतर रहते हों वहां या कबूतर के क़रीब रहना मुफ़ीद है, येह कबूतर की अ़जीबो ग़रीब ख़ासिय्यत है, इस के इलावा ऐसे शख़्स के लिये उस का गोश्त भी फ़ाएदे मन्द है।[1]

कबूतर का गोश्त ह़लाल है

सुवाल : कबूतर का गोश्त खाना ह़लाल है या ह़राम ?

जवाब : कबूतर ह़लाल परिन्दों में से है। फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ने ऊंचा उड़ने वाले ह़लाल परिन्दों में कबूतर और चिड़िया का भी ज़िक्र फ़रमाया है।[2] लिहाज़ा इस का गोश्त खाने में किसी क़िस्म की कराहत नहीं मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت की बारगाह में सुवाल हुवा कि "कबूतर खाने में किसी क़िस्म की कराहत है ?" तो आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने जवाबन इर्शाद फ़रमाया : कुछ नहीं।[3]

---

1 ..... حَيَاةُ الْحَيَوَانِ الْكُبْرٰى، الحمام، ۱/۳۶۵-۳۷۲ ملخصاً

2 ..... بَحْرُ الرَّائِق، كتاب الطهارة، باب الانجاس، ۱/۴۰۰ ملخصاً

3 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 321 माख़ूज़न

www.dawateislami.net

ماخذومراجع

نام کتاب	مطبوعہ	نام کتاب	مطبوعہ
قرآنِ پاک	❋❋❋❋	❋❋❋❋	❋❋❋❋
کنزالایمان	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ	مرآۃ المناجیح	ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
نورُ العرفان	پیر بھائی کمپنی مرکز الاولیا لاہور	البحر الرائق	کوئٹہ ۱۴۲۰ھ
حاشیۃ الصاوی علی الجلالین	دار الفکر بیروت ۱۴۲۱ھ	فتح القدیر	کوئٹہ
الدر المنثور	دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ	الدر المختار	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
صحیح مسلم	دار ابن حزم بیروت ۱۴۱۹ھ	رد المحتار	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
سنن ابنِ ماجہ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ	فتاویٰ رضویہ	رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیا لاہور
مسندِ امام احمد	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ	بہارِ شریعت	مکتبۃ المدینہ کراچی پاکستان
مسندِ بزار	مکتبۃ العلوم والحکم ۱۴۲۴ھ	وقار الفتاویٰ	بزمِ وقار الدین کراچی
المعجم الاوسط	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۰ھ	الحدیقۃ الندیۃ	مطبعہ عامرہ ۱۲۹۰ھ
فردوس الاخبار	دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ	حیاۃ الحیوان الکبریٰ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ
مجمع الزوائد	دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ	❋❋❋❋	❋❋❋❋

❋ ... ❋ ... ❋ ... ❋ ... ❋

www.dawateislami.net

फ़ेहरिस्त

उ़न्वान	सफ़ह़ा	उ़न्वान	सफ़ह़ा
दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	2	मुसल्मानों की क़ब्रों को रोंदना जाइज़ नहीं	14
यतीम किसे कहते हैं ?	2		
यतीम के सर पर हाथ फेरने की फ़ज़ीलत	3	बच्चे को सुलाने के लिये अफ़्यून खिलाना	16
यतीम के सर पर हाथ फेरने का त़रीक़ा	5	अफ़्यून, भंग वग़ैरा को बत़ौरे दवा इस्ति'माल करना कैसा ?	17
यतीम की दी हुई चीज़ खा पी नहीं सकते	5	ह़ामिला औ़रत को त़लाक़ देने का हुक्म	17
		जहेज़ का मालिक कौन ?	18
यतीम के माल का ग़ैर मोह़तात़ इस्ति'माल	6	शोहर ज़ौजा का जहेज़ नहीं रख सकता	20
यतीम का माल खाने से बचने का जज़्बा	9	ज़ौजा के तर्के में शोहर का ह़िस्सा	21
		क्या कबूतर सय्यिद होते हैं ?	22
यतीम मुआ़फ़ नहीं कर सकता	11	कबूतर के पाउं सुर्ख़ होने का वाक़िआ़	23
लड़के और लड़की के बालिग़ होने की उ़म्र	13	कबूतर की ख़ास आ़दात व सिफ़ात	25
		कबूतर का गोश्त ह़लाल है	26
क़ब्र पर बैठना ह़राम है	13	मआख़िज़ो मराजेअ़	28

www.dawateislami.net

फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा (क़िस्त : 13)

Sadate Kiram Ki Azamat (Hindi)

सादाते किराम की अ़-ज़मत

(मअ़ दीगर दिलचस्प सुवाल व जवाब)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी र-ज़वी** دامت برکاتہم العالیہ के म-दनी मुज़ा-करे की रोशनी में मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या के शो'बे "फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा" की त़रफ़ से नए मवाद

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

नेक नमाज़ी बनने के लिये

हर जुम्आ़रात बा'द नमाज़े इ़शा आप के यहां होने वाले **दा'वते इस्लामी** के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात शिर्कत फ़रमाइये ۞ सुन्नतों की तरबियत के लिये **म-दनी क़ाफ़िले** में आ़शिक़ाने रसूल के साथ हर माह तीन दिन सफ़र और ۞ रोज़ाना **"फ़िक्रे मदीना"** के ज़रीए **म-दनी इन्आ़मात** का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह की पहली तारीख़ अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये।

मेरा म-दनी मक़्सद : "मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है। اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ **"** अपनी इस्लाह़ के लिये **"म-दनी इन्आ़मात"** पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये **"म-दनी क़ाफ़िलों"** में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ

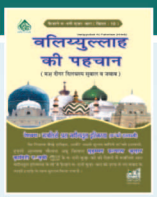

मक-त-बतुल मदीना®
दा'वते इस्लामी
फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बग़ीचे के पास, मिरज़ापूर, अहमदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net